



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502]  
No. 502]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2008/भाद्र 27 1930  
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2008/BHADRA 27, 1930

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 657(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में पृष्ठ संख्या 1—106 पर प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 185(अ), दिनांक 21 मार्च, 2005 [खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2005] और भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित शुद्धि-पत्र संख्या सा.का.नि. 596(अ), दिनांक 20 सितम्बर, 2005, सा.का.नि. 159(अ), दिनांक 16 मार्च, 2006, सा.का.नि. 575(अ), दिनांक 19 सितम्बर, 2006 और सा.का.नि. 606(अ), दिनांक 19 सितम्बर, 2007 के साथ पठनीय, पृष्ठ 1 पर, नियम 1 के उप-नियम (2) को निम्न प्रकार से पढ़ा जायेगा,—

“(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह माह की अवधि के पश्चात् प्रवृत्त होंगे सिवाय नियम 2 (ii) के मद संख्या क. 16.06, क. 16.9, क. 16.10, क. 16.15, क. 16.30, और क. 16.41, के जो 20 मार्च, 2009 को प्रवृत्त होंगे।”

[सं. पी. 15025/44/2002—जन स्वास्थ्य (खाद्य)]  
देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, में का.नि.आ. 2160, तारीख 12 सितम्बर, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 500 (अ), तारीख 5 जुलाई, 2008 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE  
(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th September, 2008

G.S.R. 657(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 185(E), dated the 21st March, 2005, [Prevention of Food Adulteration (IInd Amendment) Rules, 2005] published in Part II, Section 3, Sub-section (i) at pages 1—106 of the Gazette of India, Extraordinary and read with Corrigendum No. G.S.R. 596(E), dated 20th September, 2005, G.S.R. 159(E), dated 16th March, 2006, G.S.R. 575(E), dated 19th September, 2006 and G.S.R. 606(E), dated 19th September, 2007 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, at page 57, sub-rule (2) of rule 1, shall read as follows :—

“(2) They shall come into force after Six months from the date of publication in the Official Gazette except items No. A.16.6, A.16.09, A.16.10, A.16.15, A.16.30 and A.16.41 of rule 2 (ii) which shall come into force on 20 March, 2009.”

[No. P. 15025/44/2002-PH (F)]  
DEBASISH PANDA, Jt. Secy.

Note :—The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of the Gazette of India vide S.R.O. 2160, dated the 12th September, 1955 and were last amended vide G.S.R. 500(E), dated the 5th July, 2008.